



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253060
CG-DL-E-15032024-253060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]
No. 63]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 9 मार्च, 2024

फा.सं. पी-44015/1/2023-डीबीए-II.—भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण स्कीम (उन्नति), 2024 की घोषणा की है।

- स्कीम का शीर्षक:** इस स्कीम को उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण स्कीम (उन्नति), 2024 कहा जाएगा।
- कवरेज:** यह स्कीम पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों, नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को कवर करती है।
- स्कीम की शुरुआत और अवधि:** यह स्कीम 09.03.2024 से लागू होगी और यह 08.03.2034 तक लागू रहेगी तथा इसमें प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए अगले 8 वर्ष की अतिरिक्त अवधि भी शामिल होगी।
- स्कीम के बारे में संक्षिप्त जानकारी:** उन्नति, 2024 को उत्तर पूर्व में औद्योगिक इको-सिस्टम को सुदृढ़ करने और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है। स्कीम को दो भागों अर्थात् भाग क और भाग ख में विभाजित किया गया है।
 - भाग क:** भाग क के तहत पात्र नई औद्योगिक इकाइयों तथा पर्याप्त विस्तार कर रही है इकाइयों को, प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। भाग क में तीन घटक होंगे अर्थात् पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई), केंद्रीय ब्याज सहायता (सीआईएस), और विनिर्माण एवं सेवा संबद्ध प्रोत्साहन (एमएसएलआई)

- 4.2. भाग ख: भाग ख (i) परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) और परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू); (ii) तृतीय पक्ष मूल्यांकन और प्रभाव आंकलन; और (iii) पोर्टल विकास (राष्ट्रीय एकल विंडो सिस्टम, एनएसडब्ल्यूएस के अनुरूप), क्षमता निर्माण कार्यशालाएं, आईईसी और संचालन समिति द्वारा तय किए गए अन्य कार्यक्रम जैसी गतिविधियों के माध्यम से एक औद्योगिक इको-सिस्टम विकसित करने के लिए है।**
- 5. पंजीकरण के लिए आवेदन की अवधि:** पंजीकरण 09.03.2024 से शुरू होगा और 31.03.2026 तक जारी रहेगा जो इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन है। 31.03.2026 तक पंजीकरण की अनुमत अवधि के बावजूद, स्कीम के तहत पोर्टल में पंजीकरण और आवेदन की प्राप्ति को इस अवधि से पहले रोका जा सकता है यदि पंजीकरण की अनुमति प्राप्त कर चुकी इकाइयों की अनुमानित वित्तीय देयताएं स्कीम के कुल वित्तीय परिव्यय के 115% तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा, स्कीम के पंजीकरण दिशानिर्देशों में पंजीकरण हेतु विवरण अलग से जारी किया जाएगा।
- 5.1.** किसी आवेदक द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर देने से ही वह इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि का दावा करने का पात्र नहीं होगा। प्रोत्साहन राशि का दावा करने हेतु आगे का ब्यौरा स्कीम के दावे संबंधी दिशानिर्देशों में उपलब्ध कराया जाएगा।
- 5.2.** किसी भी इकाई को तब तक इस स्कीम के तहत पंजीकरण कराने या लाभों का दावा करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह दिशानिर्देशों में विशेष रूप से निर्धारित किए गए अनुसार सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदित न हो जाए।
- 5.3.** सक्षम प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित प्रदान किया जाएगा, जो अन्य के साथ-साथ, इकाई की प्रथम दृष्टया पात्रता और अनुमोदित निधि की उपलब्धता पर विचार करेगा।
- 5.4.** इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने की इच्छुक सभी इकाइयों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा।
- 6. पंजीकरण प्रदान करना:** पंजीकरण के सभी आवेदनों का निपटान दिनांक 30.09.2026 तक किया जाएगा, जब तक कि इसे अन्यथा बढ़ाया न जाए।
- 7. परिभाषाएं:**
- 7.1.** 'अनुमोदित निधि' का तात्पर्य इस स्कीम के भाग क और ख के तहत आबंटित वित्तीय परिव्यय से है।
- 7.2.** निरपेक्ष बाजार मूल्य' आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत यथा परिभाषित।
- 7.3. (क) 'इकाई' का तात्पर्य किसी औद्योगिक विनिर्माण की इकाई या सेवा क्षेत्र उद्यम जो वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत है जिसमें ऐसी औद्योगिक इकाई शामिल नहीं होगी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है।**
- 7.3. (ख) 'नई इकाई'**
- i.** विनिर्माण क्षेत्र के लिए, इस स्कीम के तहत 09.03.2024 या उसके बाद पंजीकृत इकाई से है, लेकिन जिसका पंजीकरण दिनांक 30.09.2026 के बाद न हुआ हो। ऐसी इकाई को पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से 4 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा।
- ii.** सेवा क्षेत्र के लिए इसका तात्पर्य इस स्कीम के तहत 09.03.2024 या उसके बाद पंजीकृत इकाई से है, लेकिन जिसका पंजीकरण दिनांक 30.09.2026 के बाद न हुआ हो। ऐसी इकाई को पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से 4 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक प्रचालन उत्पादन शुरू करना होगा।
- iii.** नई इकाई को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- यह पहले से मौजूदा व्यवसाय के विघटन या पुनर्गठन से न बनी हो।
 - यह पहले किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त संयंत्र एवं मशीनरी को नई इकाई को हस्तांतरित करके न बनी हो।
 - यह किसी अन्य जगह से पुनःस्थापित न हुई हो और/अथवा यह मौजूदा इकाई न हो जो नए नाम और रूप में दोबारा खुली हो।

iv. नई इकाई के पास एक नया जीएसटीआईएन होना चाहिए और इकाई किसी भी मौजूदा इकाई के जीएसटीआईएन का उपयोग नहीं कर सकती है।

बशर्ते कि दिनांक 09.03.2024 से पहले इस्तेमाल न की गई धरोहर संपत्ति को इसके बाद वाणिज्यिक अथवा वाणिज्यिक आधार पर हॉस्पिटैलिटी अथवा पर्यटन सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने पर, ऐसी पात्रता शर्तों के अनुसार नई इकाई के रूप में विचार किया जाएगा जिनकी बाद में विस्तृत दिशानिर्देशों में व्याख्या की जाएगी।

7.3 (ग) 'मौजूदा इकाई' का तात्पर्य एक इकाई से है जिसने दिनांक 09.03.2024 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू किया है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंधित राज्य में जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) के तहत पंजीकृत है।

7.3 (घ) 'पर्याप्त विस्तार' का तात्पर्य मौजूदा इकाई में संयंत्र एवं मशीनरी में पहले से ही किए गए कुल निवेश के न्यूनतम पच्चीस (25%) प्रतिशत के अतिरिक्त निवेश (विनिर्माण क्षेत्र के लिए), अथवा भवन अथवा अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण (सेवा क्षेत्र के लिए) से है।

अतिरिक्त निवेश से उत्पादन क्षमता/ सेवा में बढ़ोतरी या विविधता होनी चाहिए तथा यह मौजूदा संयंत्र एवं मशीनरी का प्रतिस्थापन मात्र नहीं होना चाहिए।

7.4 (क) 'विनिर्माण इकाई' का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो कच्चे माल या निविष्टि को किसी भी तरीके से प्रसंस्कृत करके उसे ऐसे नए उत्पाद में बदलती है जिसका विशेष नाम, स्वरूप तथा इस्तेमाल होता है। 'विनिर्माण इकाई' का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

7.4 (ख) 'सेवा क्षेत्र की इकाई' में होटल और होस्पिटैलिटी, पर्यटन (होमस्टे, साहसिक अभियान, स्वास्थ्य पर्यटन, इको-पर्यटन और एमआईसीई), शिक्षा (व्यावसायिक एवं डिजिटल/ई-लर्निंग), बायो-टेक, फिन-टेक और वित्तीय सेवाएँ, स्वास्थ्य सेवा (माध्यमिक एवं तृतीयक), आईटी-आईटीईएस, बीपीओ, ईवी चार्जिंग स्टेशन और तकनीक-उन्मुख स्टार्ट-अप/इकाइयाँ जो शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और कृषि के क्षेत्र में सेवाएँ प्रदान करती हैं, शामिल हैं।

7.4 (ग) 'वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत (विनिर्माण क्षेत्र)' का अर्थ है वाणिज्यिक आधार पर तैयार माल का विनिर्माण शुरू करना जो तैयार उत्पादों के विनिर्माण के लिए परीक्षण उत्पादन और पूर्ण संयंत्र और मशीनरी की स्थापना से पहले होता है और विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी कच्चे माल, उपभोग्य वस्तुएँ आदि उपलब्ध होते हैं।

7.4 (घ) 'वाणिज्यिक प्रचालन की शुरुआत(सेवा क्षेत्र)' का अर्थ वाणिज्यिक आधार पर प्रचालन शुरू करना/सेवाएँ प्रदान करना है।

7.5. 'कच्चे माल' का अर्थ है किसी भी इकाई द्वारा तैयार माल के उत्पादन या विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री या पदार्थ से है।

7.6. 'तैयार माल' का अर्थ है एक औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गई वस्तुएँ जिसके लिए यह योजना के तहत पंजीकृत है।

7.7. 'संयंत्र और मशीनरी' विनिर्माण इकाइयों के मामले में साइट पर बनाए गए औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी शामिल होगी, जिसे खुले बाजार से आर्म लेंथ कीमत पर नया खरीदा गया है। इसमें पुनर्स्थापित/पुनर्नवीनीकरण/नवीनीकृत संयंत्र और मशीनरी शामिल नहीं हैं। संयंत्र और मशीनरी के कोर और गैर-कोर घटकों का विवरण दिशानिर्देशों में दिया जाएगा।

7.8. 'भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियाँ' सेवा क्षेत्र की इकाइयों के मामले में सेवा क्षेत्र की इकाई के लिए नए भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियाँ शामिल होंगी जहां खरीद आर्म लेंथ कीमत पर की गई हो। टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों का विवरण दिशानिर्देशों में दिया जाएगा।

7.9. 'जोन क और जोन ख जिलों' का अर्थ है जोन क (औद्योगिक रूप से उन्नत जिले) और जोन ख (औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले) जो एनईआर जिलों के एसडीजी सूचकांक पर आधारित हैं। यह सूची नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के परामर्श से संचालन समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

8. प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्रता:

8.1. विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पात्र सभी इकाइयों को इस योजना के अंतर्गत संबंधित प्रोत्साहनों के अंतर्गत परिभाषित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

8.2. संयंत्र और मशीनरी में न्यूनतम 1.0 करोड़ रुपए के निवेश वाली विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयां इस योजना के तहत प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगी। योजना के तहत किसी भी प्रोत्साहन पात्र मूल्य की गणना के लिए, विनिर्माण क्षेत्र में संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यह योजना उन इकाइयों पर लागू नहीं होगी जो अनुबंध I में सूचीबद्ध नकारात्मक सूची के उत्पादों का विनिर्माण करती हैं।

8.3. भवन तथा अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों में न्यूनतम 50 लाख रुपए निवेश वाली सेवा क्षेत्र की इकाइयां इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी। योजना के तहत किसी भी प्रोत्साहन की गणना के लिए, पात्र मूल्य भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों में किए गए निवेश के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यह योजना केवल अनुबंध- II में सकारात्मक सूची में सूचीबद्ध सेवाओं के लिए लागू होगी।

8.4. सूक्ष्म उद्योगों के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 50 लाख रुपए होगी।

8.5. सूक्ष्म उद्योगों (एमएसएमई उद्योग मानदंडों के अनुसार परिभाषित) के लिए, संयंत्र और मशीनरी की गणना में भवन निर्माण लागत भी शामिल होगी।

8.6. सभी पात्र इकाइयों को पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से 4 वर्षों के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन आरंभ करना होगा। इकाई को मध्यवर्ती चरणों में उत्पादित/विनिर्मित तैयार माल को बेचने या आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी। यह परिकल्पना की गई है कि कुछ इकाइयां विभिन्न चरणों में संयंत्र और मशीनरी स्थापित कर सकती हैं। इस प्रकार, उत्पादन के चरणबद्ध प्रारंभ (अधिकतम 3 चरणों) का प्रावधान होगा, लेकिन प्रोत्साहन उत्पादन के अंतिम रूप से शुरू होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। सभी चरणों के पूरा होने के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख या योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(*आपूर्ति का अर्थ है जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत परिभाषित वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति)

8.7. योजना के तहत पात्र होने के लिए संयंत्र और मशीनरी की खरीद या भवन और टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अंतिम चालान 09.03.2024 या उसके बाद का होना चाहिए।

8.8. सभी योजना घटकों से एक इकाई को अधिकतम पात्र लाभ 250 करोड़ रुपए है।

8.9.(क) संयंत्र और मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र में) की लागत जो तैयार माल के विनिर्माण के लिए आवश्यक है, लेकिन भूमि, उपभोग्य सामग्रियों, डिस्पोजेबल या राजस्व के लिए चार्ज किए गए किसी अन्य मद की लागत शामिल नहीं होगी।

(ख) सेवा क्षेत्र इकाई के लिए भवन निर्माण और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों की खरीद की लागत, जो सेवा क्षेत्र में उस विशेष इकाई को चलाने के लिए बुनियादी हैं लेकिन इसमें भूमि, उपभोग्य वस्तुओं, प्रयोज्य वस्तुओं या किसी अन्य वस्तु की लागत शामिल नहीं होगी।

8.10. भारत सरकार की अन्य योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयां इस स्कीम के अंतर्गत समान प्रोत्साहनों के लिए पात्र नहीं होंगी। हालांकि, उन्नति के तहत अन्य पात्र प्रोत्साहनों का दावा करने के लिए संयंत्र और मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र) या भवन और टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र) के निर्माण के पात्र मूल्य की गणना संबंधित राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा की जाएगी।

8.11. इस स्कीम के लाभार्थी को स्कीम के नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देना होगा। उपक्रम का प्रारूप पंजीकरण दिशानिर्देश में दिया जाएगा।

8.12. इस योजना के अंतर्गत पात्रता संयंत्र और मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र में) में निवेश (कोर और गैर-कोर) के सत्यापन तथा भवन एवं अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र में) के निर्माण की लागत के अधीन होगी। हालांकि, केवल विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में कोर सेगमेंट के लिए ही प्रोत्साहन होगा। इसका विवरण दिशानिर्देशों में निर्धारित किया जाएगा।

9. नोडल एजेंसी

पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहनों के संवितरण के लिए नोडल एजेंसी होगी। नोडल एजेंसी पात्र इकाइयों के नामित बैंक खातों में केवल ई-ट्रांसफर के माध्यम से प्रोत्साहन जारी करेगी।

10. शासन और कार्यान्वयन तंत्र

10.1. यह स्कीम भारत सरकार अर्थात् उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के पर्यवेक्षण के अंतर्गत परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) और परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) के सहयोग से राज्य मशीनरी के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

10.2. इस स्कीम के संचालन और कार्यान्वयन के लिए गठित समितियां तथा उनकी शक्तियां और कार्य निम्नानुसार हैं:

10.2.1. संचालन समिति:

क) गठन

- i. सचिव, डीपीआईआईटी - अध्यक्ष
- ii. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि
- iii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि
- iv. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधि
- v. नीति आयोग के प्रतिनिधि
- vi. सीबीआईसी के प्रतिनिधि
- vii. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए), डीपीआईआईटी
- viii. सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिव/प्रधान सचिव
- ix. संयुक्त सचिव, प्रभारी डीपीआईआईटी, पूर्वोत्तर क्षेत्र योजना अनुभाग
- x. यदि आवश्यकता हो तो विभिन्न मंत्रालयों से विशेष सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है

ख) शक्तियां और कार्य:

- i. संचालन समिति सुचारू कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और निष्पादन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगी, और जब भी व्याख्या संबंधी मुद्दे उठेंगे तो स्पष्टीकरण जारी करेगी।
- ii. यह समिति प्रशासनिक लागत घटक के तहत आवश्यकताओं और आकस्मिकताओं के अनुसार कार्यान्वयन, निगरानी और आईटी सहायता के प्रस्तावों पर निर्णय लेगी।
- iii. समिति केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की सेवाओं का भी उपयोग करेगी तथा समय-समय पर उपयुक्त अधिकारियों जैसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी के मुख्य आयुक्तों, आयकर और जीएसटी आयुक्तों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगी, ताकि धोखाधड़ी या गैर-वास्तविक दावों को रोकने पर विशेष बल देते हुए उनकी जानकारी ली जा सके।
- iv. समिति एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष की नियुक्ति या सत्यापन के लिए योग्य कर्मियों के पैनल के माध्यम से स्कीम के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए निरीक्षण करवाएगी।
- v. सेवा क्षेत्र (होमस्टे, एडवेंचर टूरिज्म इको टूरिज्म, अपशिष्ट प्रबंधन और व्यावसायिक शिक्षा सहित) के तहत पात्रता संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश संचालन समिति द्वारा जारी किए जाएंगे।
- vi. स्कीम के भाग ख के प्रस्तावों पर निर्णय लेना।
- vii. समिति जोन क और जोन ख में जिलों के वर्गीकरण में संशोधन करने के लिए अधिकृत होगी। तथापि, जोन क और जोन ख के वर्गीकरण में यह संशोधन पूर्वोत्तर राज्यों के परामर्श से किया जाएगा।

- viii. भाग क और भाग ख के लिए परिव्यय प्रतिस्थापना (फंजिबल) के अधीन है और यह व्यय विभाग के अनुमोदन से संचालन समिति के विवेक पर किया जा सकता है।
- ix. भाग-क के परिव्यय का 60% राज्यों के लिए निर्धारित किया जाता है और अपवाद की परिस्थितियों और युक्तिसंगत औचित्य के साथ व्यय विभाग के अनुमोदन से संचालन समिति के विवेकाधिकार पर राज्यों के बीच परिवर्तित किया जा सकता है।

10.2.2. राज्य स्तरीय समिति:

क) गठन:

- i. राज्य के मुख्य सचिव- अध्यक्ष
- ii. राज्य के वरिष्ठतम सचिव, उद्योग विभाग
- iii. राज्य के वरिष्ठतम सचिव, वित्त विभाग
- iv. डीपीआईआईटी के प्रतिनिधि (अवर सचिव की रैंक से कम नहीं)
- v. विचाराधीन परियोजनाओं से संबंधित संगत क्षेत्रों के किसी अन्य सदस्य(यों) को मुख्य सचिव द्वारा विशेष अतिथि (यों) के रूप में नामित किया जा सकता है

ख) **शक्तियां और कार्य:** राज्य स्तरीय समिति इस स्कीम के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी और योजना के तहत दावों के अनुमोदन और कार्यवाही में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उचित नियंत्रण और संतुलन बनाएगी ताकि अन्य के साथ-साथ, योजना के तहत किसी प्रोत्साहन को जारी करने के दोहराव से बचा जा सके। स्कीम के विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करते समय इकाई का पंजीकरण प्रदान करने, दावों की कार्यवाही और मंजूरी प्रदान करने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन का ब्यौरा आगे तैयार किया जाएगा।

10.2.3. परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) और परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू):

इस स्कीम के तहत सभी अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रबंधन और निगरानी, डीपीआईआईटी द्वारा अपने अधिकारियों और स्वतंत्र तृतीय-पक्ष को नियुक्त करके क्रमरहित जांच की जाएगी। परियोजना के समय पर कार्यान्वयन और सुचारू निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रबंधन में सहायता के लिए डीपीआईआईटी स्तर पर एक उपयुक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त की जाएगी। योजना में दिए प्रावधान के अनुसार पीएमए पर होने वाले व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा 100% अर्थात् कुल परिव्यय का 0.4% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार, डीपीआईआईटी द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक पीआईयू नियुक्त किया जाएगा और डीपीआईआईटी स्वीकृत परिव्यय के 0.6% तक की लागत वहन करेगा। संबंधित राज्यों को स्वीकृत परिव्यय (जिसे निर्धारित निधि के समान आधार पर विभाजित किया जाएगा) के अलावा कोई भी लागत, यदि कोई हो, अपने संसाधनों से वहन करनी होगी। पीएमयू और पीआईयू की प्रमुख भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अनुबंध-III में दी गई हैं।

11. स्कीम के तहत प्रोत्साहन:

पात्रता के अध्ययधीन, स्कीम के तहत, निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:

1. पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई)
2. पूंजीगत ब्याज सहायता (सीआईएस)
3. विनिर्माण और सेवा संबद्ध प्रोत्साहन (एमएसएलआई)

11.1.1 पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई):

क) पात्रता:

निम्नलिखित इकाइयां इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी:

- i. जोन क और जोन ख दोनों की नई इकाइयां, और पर्याप्त विस्तार कर रही इकाइयां इस प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी।

- ii. एक आवेदक (एक ही नाम और जीएसटी नंबर के साथ) इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य में अधिकतम एक इकाई या आवेदन पर प्रोत्साहन प्राप्त कर सकता है
- ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में जोन क जिले में स्थित सभी पात्र इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) या भवन के निर्माण और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) की स्थापना में किए गए पात्र निवेश का 30% की दर पर पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपए होगी। वे क्षेत्र जहां जीएसटी लागू नहीं है, उनके लिए इस प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा 10.00 करोड़ रुपए होगी।
- ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में जोन ख श्रेणी के ब्लॉकों में स्थित सभी पात्र इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी (विनिर्माण के लिए), या भवन के निर्माण और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) की स्थापना में किए गए पात्र निवेश का 50% की दर पर पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 7.50 करोड़ रुपए होगी। वे क्षेत्र जहां जीएसटी लागू नहीं है, उनके लिए इस प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा 10.00 करोड़ रुपए होगी।
- घ) इस योजना के तहत पंजीकृत एक नई इकाई पर्याप्त विस्तार के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी। एक इकाई इस योजना के तहत केवल एक बार इस प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त कर सकती है।
- ङ) इस प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने से पहले इकाइयों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन अनिवार्य है।
- च) प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

11.1.2 पूंजीगत ब्याज सहायता (सीआईएस):

(क) पात्रता:

- (i) नई इकाइयां, और विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों की विस्तार कर रही इकाइयां इस प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
- (ii) संयंत्र और मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र) या भवन और अन्य सभी टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) के निर्माण में पात्र निवेश के लिए 250 करोड़ रुपए तक की मूल राशि तक के ऋण पर पूंजीगत ब्याज सहायता के लिए पात्र होगी। यदि ऋण की कुल मूल राशि (ऋण को समग्र रूप में परिभाषित किया जा रहा है और प्रत्येक किश्त में आहरण राशि के अनुसार नहीं होगी) 250 करोड़ रुपए से अधिक है, तो 250 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि पर पूंजीगत ब्याज सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी।
- (ii) पूंजीगत ब्याज सहायता संवितरित की गई राशि पर पात्र होगा न कि आवधिक ऋण के लिए स्वीकृत मूल राशि पर।
- (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में जोन क श्रेणी ब्लॉकों में स्थित सभी पात्र इकाइयां इस स्कीम के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन की तारीख से अधिकतम 7 वर्षों के लिए 3% की ब्याज दर पर पूंजीगत ब्याज सहायता प्राप्त कर सकती हैं। तथापि, इस प्रोत्साहन के तहत पात्र राशि का संवितरण वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद ही प्रारम्भ होगा।
- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में जोन ख श्रेणी ब्लॉकों में स्थित सभी पात्र इकाइयां इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन की तारीख से अधिकतम लगातार 7 वर्षों के लिए 5% की ब्याज दर पर पूंजीगत ब्याज सहायता प्राप्त कर सकती हैं। तथापि, इस प्रोत्साहन के तहत पात्र राशि का संवितरण वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद ही प्रारम्भ होगा।
- (घ) यह प्रोत्साहन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों पर लागू है।
- (ङ) प्रोत्साहन प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया दिशा-निर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

11.1.3 विनिर्माण और सेवा संबद्ध प्रोत्साहन (एमएसएलआई):

- (क) **पात्रता:** वैध जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) रखने वाली केवल नई इकाइयां इस प्रोत्साहन के तहत लाभ के लिए पात्र होंगी।

- (ख) इस घटक के तहत प्रोत्साहन की उपरी सीमा संयंत्र और मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) अथवा भवन एवं अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) के निर्माण में किए गए निवेश के पात्र मूल्य का 75% (जोन क के लिए) और 100% (जोन ख के लिए) होगी।
- (ग) ज़ोन क और ज़ोन ख की सभी पात्र इकाइयों को जीएसटी के निवल भुगतान के 100% के बराबर विनिर्माण और सेवा संबद्ध प्रोत्साहन (एमएसएलआई) प्रदान किया जाएगा, अर्थात् जीएसटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट कम कर के भुगतान किया, वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू होने की तारीख से अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के लिए या योजना की वैधता तक, जो भी पहले हो। हालांकि, निर्यात की गई वस्तुओं या सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी को इस घटक के तहत पात्र प्रोत्साहन राशि में शामिल नहीं किया जाएगा।
- (घ) किसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए प्रोत्साहन की राशि इस घटक के अंतर्गत पात्र प्रोत्साहन की कुल राशि का दसवां भाग होगी बशर्ते दावा अवधि के लिए दायर जीएसटी विवरणी के अनुसार जीएसटी का पूरा भुगतान हो।
- (ङ) यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी इकाई द्वारा किया गया भुगतान निवल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पात्र प्रोत्साहन की कुल राशि के दसवें भाग से अधिक है तो शेष को अगले वित्तीय वर्ष (वर्षों) में अग्रेषित किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि इकाई पहले 3 वर्षों में प्रोत्साहन की पूर्ण पात्र राशि का दावा नहीं कर सकी है, तो इसे बाद के वर्षों में आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, इसे 10 वर्षों की पात्र अवधि से आगे या योजना की वैधता से परे, जो भी पहले हो, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
- (च) प्रोत्साहन प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया दिशा-निर्देशों में निर्धारित की जाएगी।
- 12. पंजीकरण हेतु आवेदन, प्रोत्साहन के दावे, अनुमोदन और दावों के संवितरण की प्रक्रिया:**
यह अलग से जारी किए जाने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों में निर्धारित किए जाएंगे।
- 13. दावों से संबंधित कार्यवाही/जांच:**
- 13.1.** स्कीम के तहत दायर किए गए दावों की डीपीआईआईटी द्वारा नियुक्त मान्यताप्राप्त स्वतंत्र लेखापरीक्षा एजेंसी द्वारा पूर्व-जांच की जाएगी।
- 13.2.** एनईडीएफआई प्रोत्साहन के संवितरण से पहले 10% दावों की पूर्व-जांच करेगा।
- 13.3.** भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग अपने संबंधित अधिनियमों/नियमों/ अधिसूचनाओं आदि में अवश्य संशोधन करेंगे और इन निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।
- 14. सरकारों के अधिकार:**
- 14.1** यदि इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली कोई इकाई वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन/प्रचालन बंद कर देती है अथवा अपने स्थान में पूरी तरह अथवा इकाई के किसी हिस्से के स्थानों में परिवर्तन करती है अथवा अपने कुल स्थिर पूंजी निवेश के बड़े हिस्से का निपटान कर देती है, तो इकाई उत्पादन/प्रचालन बंद करने अथवा स्थान में परिवर्तन करने की तारीख से किसी भी प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगी।
इसके अलावा, ऐसी सभी इकाइयां जो वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर उत्पादन/संचालन बंद कर देती हैं अथवा अपने स्थान में पूरी तरह अथवा इकाई के किसी हिस्से के स्थान में परिवर्तन करती हैं अथवा अपने कुल स्थिर पूंजी निवेश के एक बड़े हिस्से का निपटान करती हैं तो ऐसी सभी इकाइयां प्राप्त किए गए सभी अनुदान अथवा प्राप्त प्रोत्साहन लौटाने के लिए बाध्य होंगी।
- 14.2** यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी इकाई ने जरूरी तथ्य की गलत व्याख्या करके/छुपाकर, गलत जानकारी देकर प्रोत्साहन प्राप्त किया है तो इकाई को 15 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ समस्त अनुदान अथवा प्राप्त प्रोत्साहन की राशि लौटानी होगी। यह आपराधिक कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी होगी।
- 14.3** निविष्ट आपूर्ति को छुपाने अथवा दावों के लिए तृतीय पक्षकार अथवा इसी प्रकार के अन्य गलत तरीकों को अपनाने वाली इकाई आगे के दावों को जब्त करने तथा पहले दिए गए सभी प्रोत्साहनों की 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से वसूली के लिए जिम्मेदार होगी।

- 14.4 प्रोत्साहन (प्रोत्साहनों) को डिजिटल भुगतान के माध्यम से जारी किया जाएगा तथा नोडल एजेंसी लाभार्थी इकाई के संबंध में डीबीटी मिशन द्वारा अपेक्षित सारी जानकारी एकत्र करेगी। नोडल एजेंसी इस संबंध में लाभार्थी इकाई के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से हलफनामा सह क्षतिपूर्ति बांड लेगी।
- 14.5 नोडल एजेंसी अंतिम किस्त/पूरी राशि प्राप्त होने की तारीख से 3 महीनों के भीतर डीपीआईआईटी को संवितरण के संबंध में सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के प्रपत्र 12 (ग) में प्रोत्साहन का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी।
15. इकाई द्वारा प्रोत्साहन के भुगतान में देरी पर ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता है।
16. प्रभारी मंत्री व्यापक स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन करने के लिए अधिकृत हैं।

बालामुरुगन डी., संयुक्त सचिव

अनुबंध-1

निषेध सूची: विनिर्माण क्षेत्र के लिए

निम्नलिखित विनिर्माण उद्योग पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण स्कीम (उन्नति), 2024 के तहत लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे:

- i. केंद्रीय जीएसटी प्रशुल्क अधिनियम, 2017 के अध्याय 24 के तहत आने वाली वस्तुएं जो तम्बाकू और तम्बाकू निर्मित वस्तुओं से संबंधित हैं।
- ii. केंद्रीय जीएसटी प्रशुल्क अधिनियम, 2024 के अध्याय 24 के तहत शामिल पान मसाला।
- iii. पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.705 (अ) दिनांक 02.09.1999 और का.आ. 698(अ) दिनांक 17.06.2003 और बाद के संशोधनों के द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार 20 माइक्रॉन से कम प्लास्टिक की थैलियां।
- iv. केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम सूची के अध्याय-27 के अंतर्गत आने वाली पेट्रोलियम अथवा गेस रिफाइनरी द्वारा उत्पादित वस्तुएं।
- v. प्लांटेशन, रिफाइनरी तथा विद्युत उत्पादक इकाइयां (जो जीवाश्म-ईंधन आधारित हैं)
- vi. पर्यावरण मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) से पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त नहीं करने वाली अथवा संबंधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन की अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाइयां।
- vii. वस्तुओं में कम मूल्य वर्धन क्रियाकलाप जैसे भंडारण के दौरान संरक्षण, सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि-पैकिंग अथवा रि-लेबलिंग, छंटनी, खुदरा बिक्री मूल्य का परिवर्तन, उच्च मूल्य इत्यादि जिसमें उच्च मूल्य पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण को छोड़कर।
- viii. सीमेंट उद्योग
- ix. हथियार और गोला-बारूद
- x. संचालन समिति द्वारा जब भी आवश्यक समझा जाए, तब एक अलग अधिसूचना के माध्यम से निषेध-सूची में शामिल किया गया कोई उद्योग या क्रियाकलाप।

अनुबंध-II

सकारात्मक सूची: सेवा क्षेत्र के लिए

निम्नलिखित सेवा क्षेत्र के उद्योग, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण स्कीम (उन्नति), 2024 के तहत लाभ हेतु पात्र होंगे, जिनका ब्यौरा दिशानिर्देशों में दिया जाएगा:

सेवा क्षेत्र सकारात्मक सूची	
1.	होटल और हॉस्पिटैलिटी
2.	पर्यटन (होमस्टे, एडवेचर, हेल्थ ट्यूरिज्म, ईको-ट्यूरिज्म तथा एमआईसीई)
3.	शिक्षा (व्यवसायिक और डिजिटल/ई-लर्निंग)
4.	बायोटेक
5.	फिनटेक तथा वित्तीय सेवाएं
6.	हेल्थकेयर (द्वितीयक तथा तृतीयक)
7.	आईटी-आईटीइएस
8.	बीपीओ
9.	ईवी चार्जिंग स्टेशन
10.	निम्नलिखित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने वाली तकनीकी आधारित स्टार्ट-अप/इकाईयां: क. शिक्षा ख. प्राथमिक हेल्थकेयर ग. कृषि
11.	संचालन समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, एक अलग अधिसूचना के माध्यम से सकारात्मक-सूची में शामिल किया गया कोई भी उद्योग या क्रियाकलाप।

अनुबंध-III

पीएमयू और पीआईयू की भूमिका और जिम्मेदारियां

पीएमयू की भूमिका और जिम्मेदारियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे:

- स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डीपीआईआईटी, नई दिल्ली में संसाधनों को स्थापित करना।
- स्कीम की स्थिति का पता लगाने के लिए डेटा का कैप्चरिंग, विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करना।
- डीपीआईआईटी की ओर से स्कीम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए वित्तीय समीक्षा करना।
- तकनीकी डिजाइन और विकास एजेंसी के साथ समन्वय करना और स्कीम के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रखरखाव और डैशबोर्ड के सृजन/रखरखाव के लिए इनपुट प्रदान करना।
- नियमित अंतराल पर स्कीम के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना।
- प्रत्येक अनुमोदित घटक के लिए वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करना और आवधिक आधार पर इसकी निगरानी करना।
- जमीनी स्तर पर स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार, एनईडीएफआई (संवितरण एजेंसी) और पीआईयू के साथ समन्वय करना।

- डीपीआईआईटी के निर्देशों के आधार पर जब भी आवश्यक हो, क्रमरहित मामलों के लिए डीपीआईआईटी की ओर से दस्तावेजों और दावों की जांच और भौतिक निरीक्षण करना।
- केंद्र और राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण गतिविधियां।
- डीपीआईआईटी द्वारा विशेष रूप से सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना।

पीआईयू की भूमिका और जिम्मेदारियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे:

- स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों में संसाधनों को तैनात करना।
- स्कीम की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न मापदंडों के आधार पर आवेदनों के आंकलन और मूल्यांकन में संबंधित राज्य सरकार के विभागों की सहायता करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
 - परियोजना रिपोर्ट
 - भूमि संबंधी पेपर (सरकारी भूमि के मामले में पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा विधिवत पंजीकृत स्वामित्व/किराया डीड के संबंध में राजस्व संबंधी पेपर)
 - बैंक ऋण स्वीकृति पत्र
 - बैंक/वित्तीय संस्थान की मूल्यांकन रिपोर्ट
 - संबंधित विभाग से अनिवार्य/ऑब्लिगेटरी पंजीकरण/अनुमोदन का प्रमाण पत्र, जो लागू हो।
- विशिष्ट आवेदनों के मूल्यांकन के लिए आवश्यक कदम उठाने और पंजीकरण और प्रोत्साहन के संवितरण के लिए डीपीआईआईटी को मामलों/आवेदनों को अग्रेषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अंतिम निर्णय प्राप्त करने में संबंधित राज्य विभाग और अन्य हितधारकों की सहायता करना।
- पंजीकरण और दावा आवेदनों में दायर जानकारी को सत्यापित करने में संबंधित राज्य सरकार के विभागों की सहायता करना।
- स्कीम से संबंधित दिशानिर्देशों, पंजीकरण और दावा प्रक्रिया के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय में कार्यान्वयन स्कीम का विकास करना।
- क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाओं के लिए राज्य स्तर पर संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
- सरकारी अधिकारियों, एजेंसियों और निवेशकों सहित राज्य स्तर पर विभिन्न हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को समझना।
- जिला स्तर पर राज्य सरकार के अधिकारियों, संभावित निवेशकों और आवेदकों के साथ ज्ञान साझा करने वाली कार्यशालाओं का आयोजन और प्रबंधन।
- ज्ञान और प्रशिक्षण के सृजन में केंद्रीय स्तर पर पीएमयू दल की सहायता करना।
- जिला स्तर पर निवेशकों के लिए जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करना।
- राज्य और जिला स्तर पर आवेदन और दावा संबंधी प्रक्रिया में प्रमुख बाधाओं की पहचान करना। आवेदनों के मूल्यांकन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं के समाधान में जिला/डीआईसी स्तर पर अधिकारियों की सहायता करना।
- आवेदन और दावा प्रक्रियाओं को फास्ट ट्रैक करने के लिए जिला/डीआईसी स्तर पर समय-समय पर शिविरों का आयोजन करना।
- निवेश संवर्धन के लिए आवश्यक गतिविधियों को क्रियान्वयन करना।
- डीपीआईआईटी द्वारा विशेष रूप से सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2024

F. No. P-44015/1/2023-DBA-II: The Government of India is pleased to announce the Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme (UNNATI), 2024, for the North-Eastern Region.

1. Scheme Title: This Scheme will be called Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme (UNNATI), 2024.

2. Coverage: The Scheme will cover all 8 North-Eastern States, namely Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura.

3. Commencement and Duration of the Scheme: It will be effective from 09.03.2024 and will remain in force up to and inclusive of 08.03.2034 and 8 more years for meeting committed liabilities.

4. Brief about the Scheme: UNNATI, 2024 is designed to strengthen the Industrial Eco-System in the North East and attract New Investment. The Scheme is divided into two parts i.e Part A and Part B

4.1. Part A: Part A provides incentives to eligible new industrial units and those undergoing substantial expansion. Part A will have three components namely Capital Investment Incentive (CII), Central Interest Subvention (CIS), and Manufacturing & Services Linked Incentive (MSLI)

4.2. Part B: Part B is for developing an industrial eco-system through activities such as (i) Project Monitoring Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU); (ii) Third Party Evaluation and Impact Assessment; and (iii) Portal Development (aligned with National Single Window System, NSWS), Capacity Building workshops, IEC and others as decided by the Steering Committee

5. Application period for registration: Registration shall commence from 09.03.2024 and will continue till 31.03.2026 subject to the guidelines issued in this regard. Notwithstanding the permissible period of registration till 31.03.2026, further grant of registration and receipt of application in the portal under the scheme will be stopped prior to this period if the projected financial liability of the units that are granted registration reaches 115% of the total financial outlay of the scheme. Further, details for registration will be issued separately in registration guidelines of the scheme.

5.1. Merely applying for registration will not entitle any applicant to claim incentives under this scheme. Further details for claiming incentives shall be provided in the claim guidelines of this scheme.

5.2. No unit will have the right to register under this scheme or claim the benefits unless it is specifically approved by the competent authority as laid out in the guidelines.

5.3. The registration will be granted by the competent authority as laid out in the guidelines, which will, *inter alia*, consider the prima facie eligibility of the unit and availability of approved funds.

5.4 All units willing to avail of incentive(s) under this scheme have to apply for registration through the online portal.

6. Grant of registration: All registration applications shall be disposed of by 30.09.2026 unless otherwise extended.

7. Definitions:

7.1. 'Approved Funds' means financial outlay allocated under Parts A and B of this Scheme.

7.2. 'Arm's length price' as defined under the provisions of the Income Tax Act, 1961.

7.3 (a) 'Unit' means any industrial manufacturing entity or service sector enterprise registered under Goods & Service Tax Act, 2017 excluding the Industrial Unit in which Government has more than 50% stake/shareholding.

7.3 (b) 'New Unit'

- i. For the manufacturing sector, a unit registered under this scheme on or after 09.03.2024 but not later than 30.09.2026. Such a unit has to commence commercial production within 4 years from the date of grant of registration.
- ii. For the Service sector, a unit registered under this scheme on or after 09.03.2024 but not later than 30.09.2026. Such a unit has to commence commercial operation within 4 years from the date of grant of registration.

- iii. A new unit will be required to fulfill the following conditions:
- It is not formed by splitting up, or reconstruction of a business already in existence.
 - It is not formed by transfer to the new unit of plant or machinery previously used for any other purpose.
 - It has not relocated from elsewhere and/or is not an existing unit reopened under a new name and style.
- iv. New unit must have a new GSTIN and unit cannot use a GSTIN of any existing unit

Provided that heritage property not in use before 09.03.2024 is restored thereafter for commercial or hospitality or tourism services on a commercial basis, it will also be considered as a new unit as per eligibility conditions to be further elaborated in detailed guidelines.

7.3 (c) 'Existing Unit' means a unit that has commenced commercial production/operation prior to 09.03.2024 and having a valid GST Identification Number (GSTIN) in the concerned State of North-Eastern Region.

7.3 (d) 'Substantial expansion' means an additional investment of a minimum of twenty-five percent (25%) of the total amount of investment already made in an existing unit in plant and machinery (for manufacturing sector) or construction of building and other durable physical assets (for service sector).

The additional investment should increase production capacity/enhancement of Services or diversification and should not be a mere replacement of existing plant and machinery.

7.4 (a) 'Manufacturing unit' means a unit that carries out the processing of raw material or inputs in any manner that results in the emergence of a new product having a distinct name, character, and use. The term —manufacturing unit shall be construed accordingly.

7.4 (b) 'Services unit' includes Hotels & Hospitality, Tourism (Homestays, Adventure, Health Tourism, Eco-Tourism & MICE). Education (Vocational & Digital/e-learning). Bio-tech, Fin-tech & Financial Services. Healthcare (Secondary & Tertiary). IT-ITeS, BPO. EV Charging Stations and Tech-oriented start-ups/units providing services in the field of education, Primary Healthcare, and Agriculture.

7.4 (c) 'Commencement of Commercial Production (Manufacturing Sector)' means starting manufacturing of finished goods on a commercial basis which is preceded by trial production and installation of complete plant and machinery for manufacturing finished products in commercial quantity and all raw materials, consumables, etc. required for manufacture are available.

7.4 (d) 'Commencement of Commercial Operation (Service Sector)' means starting of operation/delivering of services on a commercial basis.

7.5. 'Raw material' means materials or substances used by any unit to produce or manufacture the finished goods.

7.6. 'Finished Good' means the goods produced and supplied by an industrial unit and for which it is registered under the Scheme.

7.7. 'Plant and Machinery' in case of Manufacturing units shall cover industrial plant and machinery as erected at the site, which is newly purchased from the open market at an arm's length price. It excludes relocated/recycled/refurbished plants and machinery. The details of core and non-core components of Plant & Machinery shall be provided in the guidelines.

7.8. 'Building and other durable physical assets' in the case of service sector units shall cover new buildings and other durable physical assets for a service sector unit where purchases have been made following an arm's length pricing. The details of durable physical assets shall be provided in the guidelines.

7.9. 'Zone A and Zone B Districts' means Zone A (Industrially Advanced Districts) and Zone B (Industrially Backward Districts) based on NER Districts SDG Index prepared by NITI Aayog, UNDP and Ministry of Development of North Eastern Region. The list shall be provided by the Steering committee in consultation with NITI Aayog and State Governments of NER.

8. Eligibility for availing incentives:

8.1. All units eligible under the Manufacturing and Service sector will be granted incentive(s) under this scheme as defined under respective incentives.

8.2. Manufacturing sector units with a minimum investment of Rs. 1.0 crore in plant & machinery will be eligible for incentives under this scheme. For calculation of any incentive under the scheme the eligible value

shall be determined based on the investment made in Plant & Machinery in manufacturing sector. The scheme shall not apply to the units that manufacture the products listed in the **Negative list in Annexure –I**.

8.3. Service sector units with a minimum investment of Rs. 50 Lakh in building and other durable physical assets will be eligible for incentives under this scheme. For calculation of any incentive under the scheme the eligible value shall be determined based on the investment made in building and other durable physical assets. The scheme shall be applicable only for services listed in the **Positive list in Annexure-II**.

8.4. For Micro Industries the minimum investment limit shall be ₹50 lakhs for both manufacturing and service sector.

8.5. For Micro industries (defined as per MSME industry norms), the Plant & Machinery calculation will include the cost of building construction as well.

8.6. All eligible units have to commence commercial production/operation within 4 years from the date of grant of registration. The unit shall be allowed to sell or supply* the finished goods produced/manufactured in the intermediate phases. It is envisaged that certain units may install plant & machinery in phases. Thus, there will be a provision of phased commencement of production (maximum 3 phases), but the incentives will only flow after the final commencement of production. The date of commencement of commercial production after the completion of all phases shall not be later than 4 years from the date of registration under the scheme.

(*Supply means supply of goods and services as defined under GST Act, 2017)

8.7. The final invoice for procurement of Plant & Machinery or for construction of building and durable physical assets must be on or after 09.03.2024 to be considered eligible under the scheme.

8.8. The maximum eligible benefit to one unit from all scheme components is Rs. 250 crores.

8.9. (a) Cost of Plant and Machinery (in manufacturing sector) that is essential for manufacturing of finished goods but excludes the cost of land, consumables, disposables or any other item charged to revenue.

8.9. (b) Cost of construction of Building and procurement of other durable physical assets for the service sector unit that are basic to running that particular unit in the service sector but excludes cost of land, consumables, disposables or any other item charged to revenue.

8.10. Units availing benefits under other schemes of the Government of India will not be eligible for same incentives under this Scheme. However, the eligible value of Plant & Machinery (Manufacturing Sector) or construction of building and durable physical assets (Service sector) for claiming other eligible incentives under UNNATI will be calculated by Department of Industries of the concerned State Government.

8.11. The beneficiary of this scheme has to furnish an undertaking to abide by the terms and conditions of the scheme. The format of undertaking shall be provided in registration guideline.

8.12. Eligibility under this scheme will be subject to verification of investment (core and non-core) in plant and machinery (in the manufacturing sector) and cost of construction of building and other durable physical assets (in the service sector). However, the incentive will be eligible only for core segment in both manufacturing and service sector. Details will be laid down in the guidelines.

9. Nodal agency

The North-Eastern Development Financial Corporation Ltd. (NEDFi) will be the nodal agency for the disbursal of incentives under various components of the scheme. The nodal agency will release incentives only through e-transfer to the designated bank accounts of eligible units.

10. Governance and Implementation Mechanism

10.1 The scheme will be implemented under the supervision of the Government of India i.e. the Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) and implement through State machinery with the support of Project Monitoring Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU)

10.2 Committees constituted for governance and implementation of this scheme, along with their Power and function, are as follows:

10.2.1. The Steering Committee:

a) Constitution

- i. Secretary, DPIIT as Chairperson
- ii. Representative of Ministry of Development of North-Eastern Region

- iii. Representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change
- iv. Representative of the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises
- v. Representative of NITI AAYOG
- vi. Representative of CBIC
- vii. Additional Secretary and Financial Advisor (AS&FA), DPIIT
- viii. Chief Secretary/Principal Secretary of all North-Eastern States
- ix. Joint Secretary, DPIIT, in charge of North-East Region Schemes Section
- x. Special members can be invited from various Ministries if required

b) Power and functions:

- i. The Steering Committee will monitor the smooth implementation and issue detailed guidelines for execution, and issue clarifications whenever interpretational issues arise.
- ii. The Committee will decide on the proposals for implementation, monitoring and IT support as per needs and contingencies under the administrative cost component.
- iii. The Committee shall also utilize the services of the Central Board of Indirect Tax and Customs (CBIC) and Central Board of Direct Tax (CBDT) and shall periodically invite appropriate officers like jurisdictional Chief Commissioners of GST, Income Tax, and Commissioner of GST as Special Invitees, for seeking their inputs with particular emphasis on preventing fraudulent or non-genuine claims.
- iv. The Committee will get done inspections to prevent misuse of the Scheme through the engagement of an independent third party or empanelment of qualified personnel for verification.
- v. The detailed guidelines on eligibility under the service sector (including Homestays, Adventure Tourism, Eco-Tourism, Waste Management, and Vocational Education) shall be issued by the Steering Committee.
- vi. Decision-making on the proposals for Part B of the Scheme.
- vii. The Committee shall be authorized to amend the categorization of districts into Zone A and Zone B. However, this amendment in Zone A and Zone B categorization shall be in consultation with the North-Eastern States.
- viii. The outlay for Part A and Part B is fungible and can be done at the discretion of the Steering Committee with the approval of the Department of Expenditure.
- ix. 60% of the outlay of Part A is earmarked to the states and can be changed between the states at the discretion of the Steering Committee with the approval of the Department of Expenditure, under exceptional circumstances and with reasonable justification.

10.2.2. The State Level Committee:

a) Constitution:

- i. Chief Secretary of the state as Chairperson
- ii. Sr. most State Secretary, Department of Industries
- iii. Sr. most State Secretary, Department of Finance
- iv. Representative of DPIIT (not below the rank of Under Secretary)
- v. Any other member(s) representing the relevant sectors related to the projects under consideration may be nominated by the Chief Secretary as Special Invitee(s)

b) Power and functions: The State Level Committee will also monitor the overall implementation of the Scheme and put in place proper checks and balances for ensuring transparency and efficiency in processing and approval of claims under the Scheme to avoid, inter-alia, duplication of release of any incentive under the Scheme. Details of further delegation of powers for granting registration of unit, processing and sanction of claims will be worked out while preparing the detailed guidelines of the scheme.

10.2.3. Project Management Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU):

Project Management and monitoring shall be done by DPIIT by deputing its own officers as well as independent third-party random checks to ensure compliance with all notifications and guidelines under the scheme. An appropriate

Project Management Agency (PMA) shall be appointed at DPIIT level to assist them in project management ensuring timely implementation and smooth monitoring and evaluation of the project. 100% grant will be provided by Government of India towards expenditure incurred on PMA as per provision in the scheme i.e. up to 0.4 % of total outlay. Similarly, there will be a PIU appointed for each state by DPIIT and DPIIT will bear the costs up to 0.6% of the sanctioned outlay. The respective states have to bear any cost beyond the sanctioned outlay (which would be divided on a similar basis as earmarked funds), if any, from their own resources. The major roles and responsibilities of PMU & PIU are at **Annexure- III**.

11. Incentives under the Scheme:

Subject to eligibility, the following incentives are provided under this scheme:

- i. Capital Investment Incentive (CII)
- ii. Capital Interest Subvention (CIS)
- iii. Manufacturing & Services linked incentive (MSLI)

11.1.1 Capital Investment Incentive (CII):

a) Eligibility:

The following units will be eligible to avail of this incentive:

- i. New units, as well as Expanding units will be eligible to avail of this incentive in both Zone A and Zone B.
 - ii. An applicant (with the same name and GST number) can get incentives on maximum of one unit or application under this scheme in each state
- b) All eligible units located in Zone A District in the States of North-Eastern Region will be provided Capital Investment Incentive @30% of the eligible investment made in plant and machinery (for the manufacturing sector) or for construction of building and installation of other durable physical assets (for services sector) with a maximum limit of Rs. 5.00 crore. For those sectors where GST is not applicable, the maximum limit of this incentive will be Rs. 10.00 crore.
 - c) All eligible units located in Zone B category blocks in the States of North-Eastern Region will be provided Capital Investment Incentive @50% of the eligible investment made in plant and machinery (for manufacturing), or for construction of building and installation of other durable physical assets (for services sector) with a maximum limit of Rs.7.50 crore. For those sectors where GST is not applicable, the maximum limit of this incentive will be Rs. 10.00 crore.
 - d) A new unit registered under the scheme will not be eligible to avail of the benefit under substantial expansion. A unit can avail of this incentive only once under the scheme.
 - e) Physical verification of the units is mandatory before availing of this incentive.
 - f) Detailed procedures for availing of the incentive shall be laid down in the guidelines.

11.1.2 Capital Interest Subvention (CIS):

(a) Eligibility:

- (i) New units, as well as Expanding units of both the manufacturing and service sectors will be eligible to avail this incentive.
- (ii) Interest on loan up to the principal amount of Rs. 250crore for investment in eligible plant and machinery (manufacturing sector) or Building and all other durable physical assets (for service sector) shall be eligible for Capital Interest subvention. If the total principal amount of the loan (loan being defined as a whole and not as per draw-down amount in each tranche) is more than Rs.250 crore, then interest on the loan amount exceeding Rs. 250 crore would not be eligible for Capital Interest Subvention.
- (iii) The Capital Interest Subvention would be eligible on the amount disbursed and not on the principal amount sanctioned for the term loan.

(b) All eligible units located in Zone A category blocks in the States of North-Eastern Region can avail of Capital Interest Subvention at the annual rate of interest of 3% for a maximum of 7 consecutive years from any date after the date of application for registration under this scheme. However, disbursement of the eligible amount under this incentive shall begin only after the commencement of commercial production.

(c) All eligible units located in Zone B category blocks in the States of North-Eastern Region can avail of Capital Interest Subvention at the annual rate of interest of 5% for a maximum of 7 consecutive years from any date after

the date of application for registration under this scheme. However, disbursement of the eligible amount under this incentive shall begin only after the commencement of commercial production.

(d) This incentive is applicable on the loans availed from Scheduled Commercial Banks or Financial Institutions registered by Reserve Bank of India.

(e) Detailed procedure for availing of the incentive shall be laid down in the guidelines.

11.1.3 Manufacturing & Services Linked Incentive (MSLI):

(a) **Eligibility:** Only New units having a valid GST Identification Number (GSTIN) will be eligible for benefit under this incentive.

(b) The upper limit of incentive under this component shall be 75% (for ZoneA) and 100% (for ZoneB) of the eligible value of investment made in plant and machinery (for manufacturing sector) or construction of building and other durable physical assets (for services sector).

(c) All eligible units of ZoneA & Zone B will be granted a Manufacturing & Services linked incentive (MSLI) equal to 100% of the **Net payment of GST**, i.e. GST Paid less Input Tax Credit, for a maximum period of 10 years from the date of commencement of commercial production/operation or till the validity of the scheme whichever is earlier. However, GST paid on exported goods or services will not be counted towards eligible incentive amounts under this component.

(d) The amount of incentive paid in a financial year will be one-tenth of the total amount of eligible incentive under this component subject to full payment of GST as per GST return filed for the claim period.

(e) In case the Net GST paid by any unit in a financial year is more than one-tenth of the total amount of eligible incentive, the balance can be carried forward to the subsequent financial year(s). Further, if the unit cannot claim the full eligible amount of incentives in the first 3 years, the same can be carried forward to subsequent years. However, this will not be carried forward beyond the eligible period of 10 years or beyond the scheme's validity, whichever is earlier.

(f) Detailed procedures for availing of the incentive shall be laid down in the guidelines.

12. Process of application for registration, claiming incentives, approval and disbursal of claims:

These shall be prescribed in the detailed guidelines to be issued separately.

13. Processing/ scrutiny of claims:

13.1. Claims filed under the scheme will be pre-scrutinized by a recognized independent audit agency to be appointed by DPIIT.

13.2. NEDFi will undertake pre-scrutiny of 10% of claims before disbursement of incentives.

13.3. All concerned Ministries/Departments of Government of India must amend their respective Acts/Rules/Notification etc. and issue necessary instructions for effecting these decisions.

14. Rights of the Governments:

14.1. In case any unit availing incentives under this scheme goes out of production/ operation permanently or changes the location of the whole or any part of a unit or disposes of a substantial part of its total fixed capital investment within 10 years after the date of commencement of production/ operation, then the unit will not be eligible to claim any incentive with effect from the date it goes out of production/ operation or changes its location.

Further, all such units will be liable to refund the entire grant or incentive availed if it goes out of production/ operation permanently or changes the location of the whole or any part of a unit or disposes of a substantial part of its total fixed capital investment within 5 years after the date of commencement of production/ operation.

14.2. If it is established that a unit has obtained incentive(s) by misrepresenting/suppressing an essential fact, furnishing of false information, the unit has to refund the entire grant or incentive availed with interest of 15% per annum. It will also be liable for criminal proceedings.

14.3. Concealment of input supplies or routing of third party or malpractices of similar kinds will render unit liable for forfeiture of further claims and recovery of all previous incentive(s) paid with interest @15% per annum.

14.4. The incentive(s) will be released through digital payment and Nodal agency will collect all information required by the DBT Mission in respect of beneficiary units. The nodal agency shall take an affidavit cum indemnity bond in this regard from the authorized signatory of the beneficiary unit.

14.5. The Nodal agency shall furnish a Certificate of Utilization of the incentive(s) in Form12(C) of General Financial Rules, 2017 in respect of disbursements to the DPIIT within 3 months from the date of receipt of the last installment/full amount.

15. No interest on account of delay in incentive payment can be claimed by the unit.

16. Minister in charge is authorized for making modification in the scheme as deemed necessary for implementation of the scheme within the broad contours.

BALAMURUGAN D., Jt. Secy.

Annexure-I

Negative List: For the Manufacturing Sector

The following manufacturing industries will not be eligible for benefits under Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme (UNNATI), 2024 for the North-Eastern Region:

- i. All goods falling under Chapter 24 of the Central GST Tariff Act, 2017 which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes.
- ii. Pan Masala as covered under Chapter 24 of the Central GST Tariff Act, 2017.
- iii. Plastic carry bags of less than 20 microns as specified by Ministry of Environment and Forests Notification No. S.O. 705(E) dated 02.09.1999 and S.O. 698(E) dated 17.6.2003 and any subsequent amendments.
- iv. Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by Petroleum or Gas refineries.
- v. Plantation, Refineries and Power Generating Units (that are fossil-fuel based).
- vi. Units not complying with environmental standards or not having applicable Environmental Clearance from M/o Environment & Forests and Climate Change or State Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) or not having requisite consent to establish and operate from the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board.
- vii. Low-value addition activities in goods such as preservation during storage, cleaning, operations, packing, repacking or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. excluding high-value packaging and processing.
- viii. Cement Industry
- ix. Arms & Ammunition
- x. Any other industry or activity placed in negative list through a separate notification as and when considered necessary by the Steering Committee

Annexure-II

Positive List: For Service Sector

The following service sector industries, details of which will be given in the guidelines, will be eligible for benefits under Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme (UNNATI), 2024 for the North-Eastern Region:

Service Sector Positive List	
1	Hotels & Hospitality
2	Tourism (Homestays, Adventure, Health Tourism, Eco-Tourism & MICE)
3	Education (Vocational & Digital/e-learning)
4	Bio-tech
5	Fin-tech & Financial Services
6	Healthcare (Secondary & Tertiary)

7	IT-ITeS
8	BPO
9	EV Charging Stations
10	Tech-oriented start-ups/units providing services in the field of: <ul style="list-style-type: none"> a. Education b. Primary healthcare c. Agriculture
11	Any other industry or activity placed in positive list through a separate notification as and when considered necessary by the Steering Committee

Annexure-III**Roles & Responsibilities of PMU & PIU****Role & Responsibilities of PMU will primarily include:**

- Deploy resources at DPIIT, New Delhi for effective implementation of the scheme.
- Capturing, analysis of data and preparation of reports for tracking status of the scheme.
- Financial review to track progress of the scheme on behalf of DPIIT.
- Coordinate with technical design & development agency and provide inputs for maintenance of online platform and creation/maintenance of dashboard for the scheme.
- Evaluation of implementation of various components of the scheme at regular intervals.
- Monitoring of physical and financial progress for each approved component and monitor the same on a periodical basis.
- Coordinate with State government, NEDFi (disbursing agency) and PIU for effective implementation of the scheme at ground level.
- Screening of Documents & Claims and physical inspection on behalf of DPIIT for randomly picked up cases, as and when required based on direction of DPIIT.
- Capacity building activities at central and state level.
- Any other function specially assigned by DPIIT.

Role & Responsibilities of PIU will primarily include:

- Deploy resources at states for effective implementation of the scheme.
- Assist the concerned state government departments in assessment & appraisal of applications based on various parameters as per the requirements of the scheme, which may include:
 - Project report
 - Land papers (Revenue papers regarding ownership/rent deed duly registered by the registering authority/ lease deed in case of government land)
 - Bank loan sanction letter
 - Appraisal report of the bank/financial institution
 - Certificate of mandatory/obligatory registration/approval from the concerned department, as applicable.
- Assist the concerned state department and other stakeholders in undertaking steps necessary for evaluation of specific applications and obtaining the final decision of the Competent Authority for forwarding the cases/applications to DPIIT for grant of registration and disbursement of incentives.

-
- Assist the concerned state government departments in verifying the information filed in the registration and claim applications.
 - Undertake development of implementation plan in coordination with the state government departments to collate and disseminate information regarding the scheme, related guidelines, registration and claim process.
 - Coordinate with Nodal officers of concerned departments at state level for sector specific projects.
 - Understanding training requirements of various stakeholders at the state level including government officials, agencies and investors.
 - End-to-end organizing & management of knowledge sharing workshops with the state government officials at district level, potential investors and applicants.
 - Assisting PMU team at central level in creation of knowledge and training collaterals.
 - Hold awareness workshops for investors at district level.
 - Identify key bottlenecks in application and claim process at state and district level. Assist officials at district/DIC level in resolution of challenges and bottlenecks encountered during appraisal of applications.
 - Periodically organise camps at districts/DIC level to fast-track application and claim processes.
 - Carrying out the necessary activities for Investment Promotion.
 - Any other function specially assigned by DPIIT.